


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।



अपील संख्या 279/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स ऐरन कॉपर प्रा०लि०, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2018	<p align="center">खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया मांग राशि 13,44,957/- में से राशि रूपये 7,21,116/- को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत पुनः स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है।</p> <p>उभयपक्षों की बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रु. 6,23,841/- पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कॉपर आदि कमोडिटी की मैनुफक्चरिंग तथा ट्रेडिंग का कार्य किया जाता है। व्यवहारी कम्पनी द्वारा केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत की गई बिक्री इस आधार पर अस्वीकार की है कि विक्रेता भी राज्य के भीतर पंजीकृत है अतः यह माल राज्य के भीतर खरीद कर विक्रय किया गया है। इस प्रकरण में विधिक विवाद का बिन्दु निहित है एवं इस बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय</p> <p align="right">  लगातार.....2 </p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 279/2018.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/03/2018	<p>उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायलय द्वारा किये गये निर्णयों के आलोक में अपील में निर्णय किया जाना अपेक्षित होने से प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना राशि रूपये 6,23,841/- की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप जमानत (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपील की सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="397 1344 673 1545">  (मदन लाल मालवीय) सदस्य </div> <div data-bbox="901 1344 1112 1545">  (के.एल.जैन) सदस्य </div> </div>	